राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा)
(मानित विश्वविद्यालय, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत)
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016
वेब: www.niepa.ac.in

प्रवेश सूचना 2024-25

1) पीएचडी (पूर्णकालिक) कार्यक्रम
2) पीएचडी (अंशकालिक) कार्यक्रम

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) एक मानित विश्वविद्यालय है जो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। यह शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन में अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सेवारत है।

नीपा व्यापक अंतर-विषयक सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन के सभी क्षेत्रों में पीएचडी (पूर्णकालिक और अंशकालिक) कार्यक्रम प्रदान करता है। नीपा के शोध अनुसंधान कार्यक्रम में शिक्षा के सभी स्तरों और क्षेत्रों को शामिल किया गया है, और यह अपने परिप्रेक्ष्य में समग्र और बहु-विषयक है, तथा शिक्षा के लिए तुलनात्मक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को समावेश करता है। नीपा में शिक्षा नीति, योजना एवं प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले उत्कृष्ठ एवं विशेषज्ञ शिक्षण संकाय है। नीपा के संकायों को प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान में विशेषज्ञता प्राप्त है।

नीपा को अपनी संस्थागत क्षमता के अनुरूप उचित मान्यता प्रदान करते हुये राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) द्वारा "ए" ग्रेड से सम्मानित किया गया है।

शोध कार्यक्रम के आवेदन हेतु पात्रता मानदंड:

3.1 पीएचडी (पूर्णकालिक):

अभ्यर्थी जिन्होंने अध्ययन पूर्ण किया हो:

(अ) 4 वर्षीय/8 सेमेस्टर की स्नातक डिग्री सामाजिक विज्ञान तथा संबद्ध विषय में प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष/ 2 सेमेस्टर का स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम या 2 वर्षीय/4 सेमेस्टर का स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम, सामाजिक विज्ञान एवं संबद्ध विधाओं में 3 वर्षीय स्नातक डिग्री के बाद पूरी की हो या संगत सांविधिक नियामक निकाय द्वारा सामाजिक विज्ञान एवं संबद्ध विधाओं में स्नातकोत्तर डिग्री के समतुल्य घोषित योग्यता हो; जिसमें कही भी ग्रेडिंग सिस्टम का अनुपालन किया जाता है के कुल या समतुल्य ग्रेडिंग प्वाइंट स्केल में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों।

अथवा

अभ्यर्थी के देश में विधि के तहत किसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुमोदित या अधिकृत मूल्यांकन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित किसी विदेशी शैक्षणिक संस्था से समतुल्य योग्यता या उस संस्था द्वारा प्रत्यायित जिसे उस देश में शैक्षणिक संस्था की गुणवत्ता और मानकों के मूल्यांकन, प्रत्यायन या आश्वासन के लिए विधि के अधीन स्थापित या शामिल किया गया हो।

समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अभिनिश्चय के अनुसार अनु.जा/अनु.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर)/दिव्यांग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (इ.डब्ल्यु.एस.) और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट दी जाएगी।

4 वर्षीय/8 सेमेस्टर स्नातक डिग्री कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास कुल 75 प्रतिशत अंक या जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता हो, प्वाइंट स्केल पर समान ग्रेड होना चाहिए।

(ख) अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ एम.फिल. कार्यक्रम पूरा किया है, या जहाँ ग्रेडिंग सिस्टम लागू है, सामाजिक विज्ञान और संबंध विधाओं में 55 प्रतिशत अंक के समतुल्य प्वाइंट या अपने स्वयं के देश में विधिगत प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुमोदित या अधिकृत मूल्यांकन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित विदेशी शैक्षणिक संस्था से समतुल्य योग्यता प्राप्त की हो, जो उस देश में शैक्षिण संस्था की गुणवत्ता और मानकों के मूल्यांकन, प्रत्यायन के लिए विधि के अधीन स्थापित या शामिल किया गया हो, से समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो, वे पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अभिनिश्चय के अनुसार अनु.जा/अनु.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर)/दिव्यांग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (इ.डब्ल्यू.एस.) और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट दी जाएगी।

(ग) जिन अभ्यर्थियों ने अब तक अपनी स्नातकोत्तर डिग्री पूरी नहीं की है, वे आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते उन्होंने पिछले समेस्टरों में विहित अर्हता शर्तों के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रवेश के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत कर सकें। यदि परीक्षा में विलंब होने के कारण कोई अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता हैं तो प्रस्तुति की तारीख से छह माह का समय विस्तार डीपीसी द्वारा दिया जाएगा और प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

(घ) वे अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) उत्तीर्ण की है और जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपर्युक्त शैक्षिक अर्हताओं के साथ कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है, आवेदन कर सकते हैं।

3.2 पीएचडी (अंशकालिक):

(क) अंशकालिक आधार पर पीएचडी कार्यक्रम की अनुमति होगी बशर्ते विनियम में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी की जाएं।

(ख) अंशकालिक पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी अपने संगठन जहाँ वे कार्य कर रहे हैं के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि:-

I. अभ्यर्थी को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति दी जाती है।
II. उस अभ्यर्थी के कार्यालयीन कर्तव्य में उसे शोध के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति है।
III. आवश्यकता पड़ने पर उसे कोर्स-वर्क पूरा करने के लिए ड्यूटी से विरमित (रिलीव) किया जाएगा।

नोट: सभी अंशकालिक और पूर्णकालिक अध्येताओं को एक साल के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा।

चयन की विधि

आवेदनों का प्रारंभिक चयन ऊपर उल्लिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। चयनित किए गए अभ्यर्थियों को **08 जून, 2024** को लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक होगा। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को क्षमता आकलन हेतु व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के लिए 70% और मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिए 30% भारांक दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची योग्यता के क्रम में होगी।

नीपा भारत सरकार की आरक्षण नीति के सभी अनिवार्य प्रावधानों का पालन करता है। पीएचडी (पूर्णकालिक और अंशकालिक) कार्यक्रमों में प्रवेश संस्थान के निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए योग्यता के आधार पर भारत सरकार के आरक्षण के नियमों के पालन के साथ किया जाएगा।

नीपा वर्ष 2024-25 में सीटों की संख्या, आवेदनों के चयन के मानदंड और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया तय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

आवेदन कैसे करें:

संस्थान के पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित ऑनलाइन फॉर्म में समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। यह लिंक नीपा की वेबसाइट अर्थात https://niepaadm.samarth.edu.in/ पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए , कृपया वेबसाइट पर उपलब्ध नीपा का पीएचडी प्रॉस्पेक्टस, 2024-25 देखें। **www.niepa.ac.in**

उपरोक्त कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए आवेदन शुल्क के रूप में ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से 800 रुपये (अनु.जा/अनु.ज.जा./दिव्यांग/आ.पि.व.(ईडब्ल्यूएस) अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये) की अप्रतिदेय राशि अनिवार्य है। यदि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आवश्यक हो, तो विवरणिका की मुद्रित प्रति नीपा से प्राप्त की जा सकती है।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन **15 मई, 2024** तक या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए।

1.	ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि	15 मार्च, 2024
2.	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	15 मई, 2024
3.	लिखित परीक्षा	08 जून, 2024
4.	साक्षात्कार	13-14 जून, 2024
5.	अंतिम परिणाम की घोषणा	20 जून, 2024
6.	प्रवेश की तिथि	3-4 जुलाई, 2024
7.	पीएचडी सत्र/पाठ्यक्रम का प्रारंभ	15 जुलाई, 2024

किसी प्रकार का परिवर्तन होने की दशा में इसकी सूचना, नीपा वेबसाइट (www.niepa.ac.in) के माध्यम से दी जाएगी।

प्रवेश से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कृपया (admissions@niepa.ac.in) पर ईमेल भेजें।

कुलसचिव (प्रभारी)